

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा
चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14-अशोक मार्ग, लखनऊ

सं० /मु०अ०(वा०)/सीयू-दो/एस

दिनांक: जुलाई, 2010

विषय- बी०आई०एफ०आर० में पंजीकृत रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को राहत प्रदान करने के सम्बंध में।

विशेष सचिव (उद्योग),
औद्योगिक विकास अनुभाग-1,
उ०प्र० शासन,
लखनऊ।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के सेक्सन-23 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार वितरण संहिता के संलग्नक 6.5 अनुच्छेद 6.16 (प्रति संलग्न) में उल्लिखित 33 या अधिक विभव की रुग्ण कटी हुई औद्योगिक इकाइयों, जो कि बी०आई०एफ०आर० में पंजीकृत है, को निम्नानुसार राहत प्रदान की जा सकती है:-

- (a) If, due to unavoidable circumstances, power cut is necessary on such sick industrial units, suitable relaxation shall be given for such period as may be determined by the licensee in accordance with the orders for the time being in force.
- (b) The supply to the industry shall be restored if lying disconnected on orders of BIFR, or of the State Government under UP Act of 1966, or order by a Court. The MCG/minimum demand charges levied during the period of disconnection shall remain suspended and shall be recovered as per clearance of BIFR, in equal monthly installments as per the provisions of the Supply Code 2005 or as decided by licensee.
- (c) Only current dues shall be realized. A net realizable amount shall be worked out after excluding any disputed amount stayed by orders of court, and shall be recovered in equal monthly installments as per the provisions of the Supply Code-2005 or as decided by licensee.
- (d) The late payment surcharge for the said period of closure may be recovered at not less than bank rates, on orders of BIFR or of the State Government under UP Act of 1966. Provided that in absence of any such order, the prescribed rates as per provisions of supply Code shall prevail. Provided also, that if the unit commits default in timely payment of instalments granted, the late payment surcharge on arrears thus generated, shall be recovered as per existing provisions of the Supply Code.

- (e) The treatment of subsidy by the State Government to any consumer or class of consumers in the tariff determined by the State Commission shall be as per the provisions of Section 65 of Electricity Act 2003.

अतः अनुरोध है कि “सचिव समिति” को अपने स्तर से कृपया यह अवगत कराने का कष्ट करें, कि भविष्य में कटी हुई रुग्ण इकाइयों के पुर्नवासन के लिए परिचालित पुर्नवासन स्कीम प्रारूप (डीआरएस)/स्वीकृति स्कीम के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले पैकेज में उपरोक्त वितरण संहिता के प्राविधानों के अनुरूप ही रियायतें/अनुतोष प्राविधानित किये जायें, जिसमें नियमानुसार अनुतोष/राहत प्रदान किया जा सकना सम्भव हो सके एवं विलम्ब न हो।

संलग्नक-यथाउपरोक्त।

भवदीय,

(नन्दलाल)
निदेशक (वाणिज्य)

सं० 1698/मु०अ०(वा०)/सीयू-दो/तद्दिनोंक

प्रतिलिपि कृपया निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी, माल एवेन्यू, लखनऊ।
- 2- विशेष सचिव, ऊर्जा, उ०प्र० शासन, लखनऊ।

(नन्दलाल)
निदेशक (वाणिज्य)